## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Central Industrial Security Force Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha on the 13th May, 1968.

---

**12.32½ hrs.**

## PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

SECRETARY: Sir, I also lay on the Table following five Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 5th April, 1968:—

(1) The Appropriation (No. 2) Bill, 1968.

(2) The Finance Bill, 1968.

(3) The Uttar Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1968.

(4) The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1968.

(5) The Estate Duty (Amendment) Bill, 1968.

I lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following eight Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 5th April, 1968:—

(1) The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1968.

(2) The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill, 1968.

(3) The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill, 1968.

(4) The Public Provident Fund Bill, 1968.

(5) The Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1968.

(6) The Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 1968.

(7) The Pondicherry (Extension of Laws) Bill, 1968.

(8) The Civil Defence Bill, 1968.

---

**12.33½ hrs.**

## REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Jagannath Rao on the 22nd July, 1968, namely:—

"That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration."

Shri Kanwar Lal Gupta may resume his speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have to say something about the Order Paper.

MR. SPEAKER: It is over now. I have called Shri Gupta to speak on the Bill.

**12.34 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसका एक कारण तो यह है कि जब एमरजेन्सी लागू थी, डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट के अन्दर सरकार ने बहुत सारी प्रोपर्टीज ले ली थीं, उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि किसी आदमी को इन के लेने से असुविधा होती है या नहीं होती है । उस समय एमरजेन्सी की बात थी और सरकार

[श्री कंवरलाल गुप्त]

को उस चीज की जरूरत थी। लेकिन अब जब कि नार्मल पीरियड है, यह छानबीन होनी चाहिए कि सरकार जो प्रापर्टी लेना चाहती है—आया उसका उस प्रापर्टी को लेना उचित है या नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे बहुत सारे केसेज मालूम हैं, जिनमें बहुत ज्यादतियां हुई हैं। ऐसे बहुत सारे हार्ड केसेज हैं, जिनकी चिन्ता न करते हुए सरकार ने उनकी जायदादें ले लीं। उस समय तो ठीक था, लेकिन आज जब हालात नार्मल हैं, एमरजैन्सी समाप्त हो चुकी है, तो मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह कहुंगा कि जितनी भी इस प्रकार की प्रापर्टी आपने उस समय ली थी, उन को रिव्यू करना चाहिए और जो इस तरह के हार्ड केसेज हैं, उनको छोड़ देना चाहिए और जहां जरूरी हो—हो सकता है कि 20 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद उन प्रापर्टीज की ज़रूरत न हो—उनको छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार की आपकी पालिसी होनी चाहिये।

दूसरी चीज—आपने जो कम्पेन्सेशन की बात कही है, वह गलत है। वास्तव में लैंड एक्वीजीशन एक्ट में कम्पेन्सेशन की जो व्यवस्था की गई है, उसमें कहा गया है कि सैक्शन 4 के अन्दर जब नोटिफिकेशन होगा, उस समय जो मार्केट प्राइस होगी वह कम्पेन्सेशन में दी जायगी। लोगों को इससे नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सैक्शन 4, उसके बाद सैक्शन 6 और उसके बाद सैक्शन 9—इनके नोटिफिकेशन में पांच-छ: साल लग जाते हैं, इस लिये जिस दिन प्रापर्टी एक्वायर की जाय, उस दिन जो मार्केट रेट हो, वह कम्पेन्सेशन सरकार को देना चाहिये। मेरा कहना तो यह है कि मार्केट रेट से भी ज्यादा देना चाहिये। लैंड एक्वीजीशन एक्ट में 15 परसेन्ट सोलेशियम ज्यादा देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिये देते हैं कि मालिक उसको बेचने के लिये तैयार नहीं है, सरकार उसको जबरदस्ती लेना चाहती है, इस लिये उसको कुछ न कुछ ज्यादा देना चाहिये। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम्पेन्सेशन की जो क्लाज़ इस के अन्दर दी गई है यह एक ऑटोमेटिक रूल की तस्वीर देती है, यह गलत चीज है और आपको इस में बदल करनी चाहिये। जब आप प्रापर्टी लेते हैं, उस समय जो मार्केट प्राइस हो, वह मार्केट प्राइस सरकार को कम्पेन्सेशन के रूप में देनी चाहिये।

तीसरी चीज़—जो अमेंडमेंट आप इस समय लाये हैं, यह पीसमील है। इस बिल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, अननैसेसरी हैं, इन में बदल की ज़रूरत है। इसलिये सरकार अगर पूरा विधेयक लाती तो ज्यादा अच्छा होता। पीस-मील लेजिस्लेशन से कोई फायदा नहीं होगा।

एक खास चीज़ की तरफ़ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार अपनी ताकत का कितना नाजायज़ फायदा उठाती है, उस का एक उदाहरण मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुर्सी पर बैठ कर कानून बनाने वाले, कानून को चलाने वाले अपने हाथ से किस तरह कानून का कत्ल करते हैं, उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह चीज एक स्कैण्डल का रूप धारण कर गई है। नई दिल्ली के अन्दर एलैक्जेण्ड्रा प्लेस एक जगह है, जहाँ दो-तीन सौ फेमिलीज रहती हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। वह जगह एक ब्रह्मचारी जी को अलाट कर दी गई। ये ब्रह्मचारी जी नहीं, सरकारी ब्रह्मचारी हैं, सरकार के खास आदमी हैं। पहले इन ब्रह्मचारी जी को जन्तर-मन्तर रोड पर एक कोठी दी गई थी। मैंने

सरकारी ब्रह्मचारी इस लिये कहा कि आपको बताता हूं कि सरकार इनको किस तरह पैट्रोनाइज करती है। कई साल ये उस कोठी में जन्तर मन्तर रोड पर रहे, लेकिन जब कई सालों का किराया नहीं दिया, तो उनको वहां से उठा कर बाहर निकाल दिया गया .....

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : सरकारी साण्ड कहो।

**श्री कंवरलाल गुप्त** : कांग्रेसी सरकारी ब्रह्मचारी कह लो। अब इनको योगाश्रम के लिये एलैक्जैण्ड्रा प्लेस की जगह एलाट कर दी गई और उन लोगों को जो वहां पर रहते थे, नोटिस दे दिया गया कि इस जगह को खाली कर दो, सरकार उस जगह को लेना चाहती है। सैकड़ों फैमिलीज़ को निकालने के लिये नोटिस दिया गया। मास्टर प्लान के अन्दर वह जगह रेज़िडेन्शल एरिया है, रेज़ीडेन्शल एरिया के होते हुए भी इन्होंने वहां पर योगाश्रम बनाने का निर्णय कर लिया, जो कि मास्टर प्लान के खिलाफ़ था। पहले उस जगह को डेन्जरस डिक्लेअर कराया गया और कहा कि यह डेन्जरस है, हम इसको गिराना चाहते हैं। लेकिन जब सी० पी० डब्ल्यु० डी० के चीफ़ इंजीनियर को मालूम हुआ तो उन्होंने दोबारा जांच करवाई और मालूम हुआ कि डेन्जरस नहीं है। जो वहां पर महिलायें थीं, वे आकर रोईं और कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, अखबारों में देंगे। तब इन्होंने कहा कि हम आपका हिस्सा नहीं लेते, बराबर वाला हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी ज़ी को योगाश्रम के लिये देना जरूरी है। तो एक आदमी को खुश करने के लिए कानून कैसे तोड़ा जाता है? यह भी कहा जाता है और वह ठीक भी है कि स्वयं प्राइम मिनिस्टर उसमें इन्टरेस्टेड हैं। प्राइम मिनिस्टर साहिबा के कहने से उन सरकारी ब्रह्मचारी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिस्टर कपूर ने आपको चिट्ठी लिखी है कि ये ब्रह्मचारी जी प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने शिकायत की कि मुझे अभी तक योगाश्रम की जमीन नहीं मिली है आप जल्दी कीजिए, इसमें कहाँ देरी है और जल्दी से जल्दी उनको एलाट करें।

**एक माननीय सदस्य** : ये तो कहानी सुनाना चाहते हैं।

**श्री कंवरलाल गुप्त** : कहानी तो सुनाऊंगा ही। यह तो स्कैंडल है। आप इसको आसानी से नहीं ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हों या आप, कानून सभी के लिए एक है। आप कुर्सी पर बैठ कर पांच सौ परिवारों को किस प्रकार से उजाड़ रहे है, क्योंकि वे प्राइम मिनिस्टर को योगासन सिखाते हैं इसलिए आप यह करना चाहते हैं। लेकिन यह नहीं होगा। अगर होगा तो हम आपकी धज्जियां उड़ायेंगे। ..... (**व्यवधान**) ......

मैं चाहता हूं कि आप इनकार करें कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियेट से चिट्ठी आई है और यह भी इनकार करें कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। यह एक जबर्दस्त स्कैंडल है। आज वहाँ पर टेलीफोन भी लग गया है। वहाँ पर सिखों का गुरुद्वारा भी है। उन्होंने भी एजीटेशन शुरू किया है और कहा है कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास जो भी ताकत है वह कानून के मुताबिक इस्तेमाल करिए। मैं आपके जरिए यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की कुछ और राय है और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की कुछ और राय है। उपप्रधान मंत्री से मिलने गए, गृह मंत्री से मिलने गए, आपसे भी मिलने गए तो हर एक मंत्री ने अलग अलग राय दी और यह कहा कि यह बड़ा मामला है इसमें हम क्या कर सकते हैं।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में घोषणा करिए कि जैसे लोग,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सरकारी कर्मचारी वहां पर रह रहे हैं उनको हटाया नहीं जायेगा। अगर आपको ब्रह्मचारी जी की सेवा करनी ही है तो उनको कोई दूसरी जगह दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति के लिए मास्टर प्लान का उल्लंघन करना—वह व्यक्ति जिसने पहले सरकार को किराया नहीं दिया—उचित नहीं है। उस व्यक्ति ने सस्ती जीपें भी खरीद ली हैं, पार्लयामेन्ट के मेम्बरों को जो जीपें मिलती हैं उसके आधे भाव पर उसको जीपें मिली हैं। उसको मोटर साइकिलें भी मिली हैं सरकार से। तो वह सरकार का फेवरिट है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर): पहुंचा हुआ योगी होगा।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : अटल जी कहते हैं कि पहुंचा हुआ योगी है। मेरा तजुर्बा अभी नहीं हुआ है। मैंने उनके दर्शन जरूर किये हैं। तो मैं मंत्री जी से अश्योरेन्स चाहता हूं कि किसी प्रकार से भी वहां पर लोगों को उजाड़ा नहीं जायेगा और वहां पर जो लोग बैठे हैं वे बैठे रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि मैंने जो तीन चार बातें कही हैं उनको मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur): The properties requisitioned under the Defence of India Act are being given a lease of life for an indefinite period by means of this Bill. I would say that the statement explaining the circumstances why this Bill became necessary is a mere repetition of the 'Statement of Objects and Reasons' except for the fact that because the Defence of India Act expired in the month of January, issuing an Ordinance was necessary.

The reasons for extending this Act are not very convincing. We are told that properties worth several crores of rupees probably were requisitioned in the year 1962 in the wake of the Chinese aggression. Within the course of these six years Government should have been in a position to come to a conclusion whether to acquire the property permanently or to derequisition the property. If they are really in need of those properties and they have built valuable structures over the properties requisitioned, then Government should be in a position to come to a definite conclusion whether they need those properties permanently and whether that acquisition is necessary. Therefore, they should not merely keep the requisitioning hanging indefinitely for a further period, but they should be in a position to acquire it permanently if they need it permanently.

We know that a high-powered committee has been formed, consisting of distinguished Members of this House and also of the other House, to go into all the questions regarding acquisition of lands and the various ramifications and the implications of the acquisition of land in different parts of the country.

It is our common experience that when Government issue a notice of acquisition once under the law, and they get control of the property, there is laxity, and they do not take the necessary steps for completing the various processes of acquisition by the time by which they should complete them. Inevitably, the owners of the land are the sufferers. In this process, also a lot a land which may be needed for agricultural purposes and various other purposes remains waste. Government acquire the land and they do not build the structures they need thereupon, with the result that a vast area of land lies waste.

All these matters are under the consideration of the high-powered committee. Even after the passing

of this Bill, when the high-powered committee has given its recommendations, Government should lose no time in bringing forward a comprehensive Bill to see that the difficulties that are faced by the owners of the land and by the country as a whole on account of a large area of land lying waste for a considerable period of time and the difficulties that are faced by Government on account of the shortage of finance and on account of their not being able to meet the cost of acquisition or the expenses of requisition for a very long period of time are solved at least partially.

Since this Bill seeks to replace an ordinance, the process of passing this Bill into an Act cannot be delayed for a further period. Otherwise, I would have asked for the reference of this Bill to a Select Committee. But since that cannot be done now, I would at least expect the Government that after this Bill is pased and son after the high-powered committee has given its recommendations, they should lose no time in bringing forward a comprehensive Bill to safeguard the economy of land and especially the agricultural lands in our country, to protect the agriculturists and the land-owners and to effect economy in Government spending. I hope that that Bill will be brought forward and sufficient measures would be taken to safeguard all these interests.

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba): It is really surprising that Government should have to promulgate an Ordinance in order that they may be in a position to continue in possession of properties which, on their own admission, they had taken possession of about 25 years back. One is really surprised when the Minister says that there are certain properties which have been taken possession of both in the cities and towns, and if they were to be released, Government would suffer.

What is the criterion for this Government? Is it the suffering of the Government or the suffering of the people whom they claim to serve? Let the Government understand that they are elected and put in authority not to solve their problems and difficulties but in order that they may solve the problems and difficulties of the public. If buildings, lands and properties had been taken possession of 25 years and more ago, does the Minister seriously want to tell us that during all this time they could not possibly find out ways and means so that the Government's difficulties could be solved and at the same time the owners of the properties given proper relief? Was it really necessary to promulgate an Ordinance?

Last year in the first session of the Lok Sabha, we dealt with an Ordinance where they tried to set aside a Supreme Court decision. In pursuance of that, we have a committee which is going round the country and might report on it. Here is another case. An Ordinance has been promulgated. I would really like to know what sort of acquisition proceedings are Government carrying on. I might cite an instance with which the present Ministry is not concerned. For the purpose of the City of Bombay's water supply, thousands of acres of land have been notified and acquisition proceedings are on. Nothing has happened as far as the owners are concerned. An 80-ft. bund has been built with the result that water will by now have entered the fields and houses of those people. This is in the Igatpuri taluka of Nasik District in Maharashtra State.

These are instances where Government act in a hurried manner and then want people to loiter at their door and get relief as and when Government will give it. This is happening in towns cities and in villages with which everyone is concerned. Instead of trying to improve upon their conduct in this matter under the legislation under which they act, Government simply go on adding to the miseries of the people.

[Shri Dattatraya Kunte]

The Minister has not given any justification except that it would be difficult for Government to release those properties. If the difficulty is such that Government cannot stand it, how could the poor owners face it? Is it any excuse for Government to say, 'We are in difficulty; therefore, we will stick to what we have done.'

As a matter of fact, these properties were taken possession of during war time when there was supposed to be an emergency. Now the very fact that an Ordinance has been promulgated means that Government were aware that the emergency had lapsed and the Defence of India Act, under which this has been done, would expire on 10 July, 1968. So they ought to have been more careful about it. Through this recourse to ordinances, does the Government want the House, and through the House the public, to understand that it is only during the inter-session period that the Government attends to its legislative activities in a proper manner and on other occasions they will be doing something else?

Therefore, really in this particular matter, because the Minister wants an ordinance to be ratified and because through that ratification he wants to bring further amendments, I oppose the Bill tooth and nail.

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो ग्रमेंडिंग बिल मौजूद है यह हिन्दुस्तान के तमाम किसानों के लिए ग्रहमियत रखता है । पिछले साल इसी हाउस में फूड मिनिस्टरी की बहस हुई थी ग्रौर उसमें लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट की तरमीम ग्राई थी ग्रौर उस तरमीम पर हमारे बहुत से साथियों ने बहस की थी ग्रौर उस बहस का नतीजा यह हुग्रा कि तमाम देश के लिये पार्लियामेंट के मैम्बर्स की एक लैंड एक्वीज़ीशन कमेटी बनी थी । वह कमेटी सारे देश का दौरा कर रही है । उस कमेटी के चेग्ररमैन मुल्ला साहब हैं जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं ग्रौर इस हाउस के एक माननीय सदस्य हैं । जाहिर है कि उस कमेटी ने इस बारे में एक बड़ी कम्प्रीहैंसिव रिपोर्ट सौंपनी है । मैं यह भी ग्रापको बतलाना चाहता हूं कि बड़ी इनकिलाबी सिफारिशें कमेटी की ग्रायेंगी जिससे कि सारे देश के किसानों की किस्मत का कायापलट हो जायगा । यह बीच में जो बिल ग्राया है मेरी समझ में नहीं ग्राता कि इसका क्या मतलब है ? जब सारे देश के लैंड के ऐक्वीजीशन पर एक बड़ा कम्प्रीहैंसिव ग्रौर युनिफार्म बिल ग्रा रहा है तो यह पीसमील लेजिस्लेशन, ग्रार्डिनेंस की जगह बिल या कोई डिफेंस ग्राफ़ इंडिया एक्ट, 1962 चूंकि 10 जुलाई को ख़त्म हो जाना है इसलिए उसकी जगह यह ग्रमेंडिंग बिल लाया जा रहा है या कोई पहले इस किस्म का रिक्वीज़ीशनिंग ग्रौर ऐक्वीजीशन ऐक्ट है उसमें तरमीम करके कुछ दफ़ात इस बिल की मार्फत उस एक्ट में लाना मुझे कोई ज्यादा ग्रक्ल की बात नजर नहीं ग्रा रही है ।

किसानों को पहले से ही कीड़े मकोड़े समझा गया है ग्रौर ग्रंग्रेज़ों के वक्त में जो लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट था उसके तहत किसानों को जमीन का मालिक ही नहीं समझा जाता था । उसे तो बस गधा सरीखा समझा जाता था कि जो चाहे उस पर सवारी कर ले । उस कानून में यहां तक था कि ग्रगर देश के डिफेंस के लिए, स्पैसिफिक परपज के लिए या पबलिक परपज के लिए जिसमें कि देश का हित है तो बिना हिचक उसके तहत किसानों की कुर्बानी की जा सकती है ग्रौर सरकार उनकी जमीनें, मकान ग्रादि ले सकती है लेकिन जहां कारपोरेशन ग्राये, जहां कम्पनीज ग्रायें ग्रौर यहां तक कि एक एक मामूली दुकान के लिए एक ग्रपनी छोटी सी तिजारत के लिए एक दूसरी यार्डस्टिक इस्तेमाल की जाये ग्रौर ग्रगर उस पर पबलिक परपज की डैफ़ीनीशन का फायदा उठायें तो एक छोटा सा किसान जिसके कि पास 25 बीघा या 60 बीघा जमीन

हो उस बेचारे की सारी जमीन पबलिक परपज में क्यों साफ़ ले ली जाती हैं ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता हैं कि यह एक बड़ा जुल्म व नाइंसाफ़ी आज किसानों के साथ की जा रही हैं। यह जुल्म दिल्ली में भी उन पर हो रहा है। यह दिल्ली के चारों तरफ़ का आसपास का 3 मील का इलाका जैसे इधर बहादुरगढ़ ले लीजिये, पानीपत ले लीजिये, गाजियाबाद ले लीजिये और उधर को गुड़गांव और रिवाड़ी तक ले लीजिये बल्कि सोनीपत तक ले लीजिये यह सारा इलाका उन किसानों का हैं जिनकी कि जमीन टंटे में आ गई है और हर समय उनके गले में फांसी का फंदा झूलता रहता हैं। उनको पता नहीं कि कोई जमीन उनकी है या नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि यह मकान उन का रहेगा या नहीं। उन को यह पता नहीं है कि डंगर वगैरह लेकर किस वक्त उनको कूच करना पड़ेगा। उनको यह पता नहीं है कि हम जनूब में जायेंगे, मशरिक में जायेंगे या शुमाल में जायेंगे।

यह लाखों नहीं करोड़ों आदमियों की किस्मत का सवाल है। मेरे भाई श्री कंवर लाल गुप्त ने ठीक ही कहा है कि यह महज़ कानूनी बात ही नहीं र बल्कि यह करोड़ों आदमियों के बुनियादी हकूक का मसला है। जब एक कारखानेदार अपना कारखाना बनाता हैं तो वह कारखाने का मालिक होता हैं, कोई बैंकर बैंक बनाता है तो वह अपने उस बैंक का मालिक होता है, दुकानदार अपनी दुकान का मालिक होता है, गरज यह कि हर कोई अपनी अपनी प्रापर्टी का मालिक होता है लेकिन किसान बेचारा अपनी जमीन का मालिक नहीं है। उस की मालिक सरकार है, उसका हसबैंड जो हैं वह सरकार हैं, किसान नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता यह क्या बात है और क्यों इस तरह से सौतेली माँ का बरताव किसान के साथ होता है। उस किसान के साथ जो सारे हिन्दुस्तान को बचाने वाली फौज को परवरिश करता है, जो सारे हिन्दुस्तान का अन्नदाता बनता है, जो सारे हिन्दुस्तान का बचाव करता है, ऐसा सलूक मेरी समझ में नहीं आ सकता है, इस सरकार के जरिए से जो आजाद हिन्दुस्तान की सरकार हैं।

**13 hrs.**

यह जो बिल हमारे वजीर साहब लाये हैं उसके बारे में मैं उनकी मजबूरियों को समझता हूं। यह ठीक है कि डिफेंस आफ इंडिया एक्ट की मियाद खत्म होगी, लेकिन कौनसा आसमान फटने वाला ह, कौन सी जमीन टूटने वाली है ? छः महीने इन्तजार किया जा सकता था। कमेटी बड़ी शानदार रिपोर्ट करने वाली है। उस कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद ही हम को कोई कदम उठाना चाहिये था। मैं कहना चाहूंगा कि जो आर्डिनेंस था उसको हम कुछ देर और रख सकते थे और कुछ देर और इन्तजार करके अगला कदम उठाते।

मैं इस सिलसिले में दो मिसालें देना चाहूंगा एक तो मेरा खुद का हलका है मांडोठी गांव का और और एक गुड़गांव की मिसाल है। बीस या पच्चीस साल से हवाई अड्डे के लिये जमीन एक्वायर की हुई थी लेकिन आज तक वहां हवाई अड्डा नहीं बना, बल्कि हवाई अड्डा बनना कैंसल भी हो गया है। जो जमीन ली गई है वहां पर जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन था भी उसके रोड़े तक भी उड़ गये हैं। चूंकि जमीन की मालिक सरकार है, किसान उसके नजदीक भी नहीं जा सकता। नजदीक जाता हैं उसका चालान किया जाता है। वहां पर अपने डंगर भी नहीं छोड़ते। अगर छोड़ दें तो उनको जेल ले जाया जाय. उसके लिये कोई मुआवजा नहीं हैं। इस तरह का जंगल का कानून है। चाहे वह सरकार का कानून हो चाहे किसी करपोरेट बाडीका हो, जिससे हमारे देश का किसान उजड़े वह गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि जो बिल लाया गया है उसके पीछे कोई मुद्दआ नहीं हैं, इसलिये

[श्री रणधीर सिंह]

उसको अभी न लाया जाय । आज दिल्ली के आस पास तीस मील के अंदर जो लोग हैं उनके साथ भी वही हाल होगा जो हमारे आदमियों के साथ गुड़गांव में हुआ । आप उसमें जल्दी न करें । थोड़े दिन इतजार करें । दरअस्ल रिपोर्ट को आने दें और पार्लियामेंट में उस पर विचार हो । अगर आपको उसमें कोई तरमीम करनी है या उसको मंजूर करना है तो उसको करने के बाद कोई बिल लावें । मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त इस बिल की कोई जरूरत नहीं है । आप इस बिल को अभी इल्तवा में डालें । आप उस रिपोर्ट को यहां लायें उसके बाद पार्लियामेंट चाहे उस पर अपनी मुहर लगाये या कुछ करे ।

13.02 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.*

---

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.*

[MR. DEPUTY-SEAKER *in the Chair*].

## RE: STRIKE OF BIHAR NON GAZETTED GOVERNMENT SERVANTS AND WORKING JOURNALISTS

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I rise on a point of order. I will read out the rule. May I invite your kind attention to rule 340? It says:

> "At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned".

The motion before the House is that the Bill which had been piloted by Shri Jaganath Rao be taken into consideration. I want that this debate should be adjourned for two reasons. Firstly, as you are aware, today the Bihar State is under President's Rule. Unfortunately, a situation has developed in that State where thousands of non-gazetted officers are on strike and they are being arrested. There is no Assembly there and, naturally, this matter cannot be raised there. Secondly, because of the non-implementation of the Wage Board Award' the working journalists and the employees in *Statesman* . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: This plea was made just after Question Hour by Shri Joshi and the Speaker, if I remember correctly, said that he would look into it and decide what is to be done because there is some Calling Attention Notice. The same thing applies to Bihar also. If you had given notice I would have considered.

SHRI S. M. BANERJEE: It is not necessary under Rule 340. You can rule me out. Sir, today all the employeees of newspapers like *Statesmen, The Times of India, Hindustan Times, Indian Express and the Anand Bazar* Group are on strike. Tomorrow there will be no newspapers. These newspapers headed by Tata, Birla, Goenka and Sahu Jain are going to declare a lockout. I would request you to ask the Labour Minister, who is present here, to say something which may avoid the strike. I would request you to help us.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So far as I know, because I know what is happening, the Labour Minister is taking active interest in this. If there is a Calling Attention Notice . . .

SHRI S. M. BANERJEE: He is physically present here. The Calling Attention has been rejected and that is why I am raising it here now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am certain that the Labour Minister has done everything possible to avoid the strike. So far as the strike by working journalists' organisation is concerned, at the proper time I am certain he will intervene and take action.